भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3391

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2026 को दिया जाना है

नियोजित कोयला विस्तार और इसके पर्यावरणीय प्रभाव

3391. **श्री मल्लिकार्जुन खरगे:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह विश्वास है कि कोयला अन्वेषण, उत्पादन और उपयोग की उसकी वर्तमान योजनाएं भारत के जलवायु लक्ष्यों (जिसमें इसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य शामिल हैं) के अनुरूप हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी नियोजित कोयला विस्तार से उत्पन्न होने वाले जलवायु जोखिमों, जैसे कि मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि, का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन कराया है; और

(ग) कोयला खदानों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : जी, हां। भारत के कोयला अन्वेषण, उत्पादन और उपयोग योजनाओं को देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और वर्ष 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाता है। विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी।

(ख) : कोयले के निष्कर्षण, प्रोंसेसिंग, भंडारण और वितरण के दौरान कोयला खानों से निकलने वाले मीथेन उत्सर्जन का अनुमान ऊर्जा क्षेत्र के तहत 'ठोस ईंधन से होने वाले फ्यूजिटिव उत्सर्जन (जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे खनन)' उपश्रेणी के अंतर्गत लगाया जाता है। तथापि, कोयला क्षेत्र में फ्यूजिटिव मीथेन उत्सर्जन की निगरानी और विनियमन के लिए कोई कार्यतंत्र मौजूद नहीं है तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(एमओईएफएंडसीसी) और उत्सर्जन आकलन की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को भेजी जाती है।

(ग) : कोयला कंपनियों ने उत्सर्जन को कम करने और कोयला खनन प्रचालनों से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई है। प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **स्वच्छ कोयला लॉजिस्टिक्स को अपनाना:** परिवहन के दौरान धूल और कणों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, मशीनीकृत कोयला हैंडलिंग संयंत्रों, कवर्ड कन्वेयर सिस्टम और साइलो-आधारित लोडिंग सहित फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

ii. **ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना:** ऊर्जा-दक्ष उपकरणों के संस्थापित करना, भारी मशीनरी का नियमित रखरखाव और ईंधन के उपयोग को ईष्टतमीकरण करने तथा उत्सर्जन को कम करने के लिए डिजिटल खान प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना।

iii. **संधारणीय खनन पद्धतियों की ओर बदलाव:** वैज्ञानिक खान योजना और प्रगतिशील खान समापन पद्धतियों सहित सतह पर क्षति को कम करने के लिए, जहां व्यवहार्य हो, भूमिगत खनन पर जोर देना।

iv. **धूल और उत्सर्जन नियंत्रण उपाय:** ब्लैक-टॉपिंग और हॉल सड़कों का नियमित रखरखाव, जल छिड़काव प्रणालियों की संस्थापना, और फ्यूजिटिव उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए धूल दमन प्रौद्योगिकियों का उपयोग।

v. **वनीकरण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन:** कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, हरित पट्टी का विकास और खनित क्षेत्रों का जैव-सुधार।

vi. **भूमि पुनरूद्धार और सामुदायिक उपयोग:** पुनरूद्धारित भूमि पर इको-पार्क, खदान पर्यटन स्थलों और अन्य समुदाय-उन्मुख हरित स्थानों का विकास।

vii. **स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन पहल:** जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए खनन क्षेत्रों के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सौर ऊर्जा उत्पादन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाना।

इसके अतिरिक्त, सभी नई और विस्तार खनन परियोजनाएं पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के अध्यधीन हैं, जिनमें विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी) की तैयारी और कार्यान्वयन करना शामिल है। ये रूपरेखाएं खनन प्रचालनों के पूरे जीवनचक्र में पर्यावरणीय प्रभावों को व्यवस्थित रूप से कम करने और सांविधिक पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करती हैं।
